	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
2-7-18	पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित बहस पत्रावली की गई वास्ते आदेश पत्रावली 18-7-18 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
18.7.18	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित वाद स्वीकार कर मुताबिक राजीनामा डिक्री किया गया। विस्तृत निर्णय अलग से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी लाखेरी (बून्दी)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी, बून्दी

दावा संख्या 17 / दावा / 17 पीठासीन अधिकारी गरिमा लाटा RAS

दायरा दिनांक– 22.03.2017

उनवान

1. महावीर आत्मज स्व. भैरूलाल जाति गूर्जर निवासी ग्राम डांगाहेड़ी तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी।
2. राजू आत्मज स्व. भैरूलाल जाति गूर्जर निवासी ग्राम डांगाहेड़ी तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी।
3. बाबू आत्मज स्व. भैरूलाल जाति गूर्जर निवासी ग्राम डांगाहेड़ी तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी।
4. हेमराज आत्मज स्व. भैरूलाल जाति गूर्जर निवासी ग्राम डांगाहेड़ी तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी।
5. जनकूबाई बेवा स्व. भैरूलाल जाति गूर्जर निवासी ग्राम डांगाहेड़ी तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी।

–वादीगण

बनाम

1. सून्दडा आत्मज कान्हा जाति गूर्जर निवासी ग्राम डांगाहेडी तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी।
2. राजस्थान राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार साहब, इन्द्रगढ तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी।

--प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक–18.07.2018

वादी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 88,89,188 जर्ये अधिवक्ता पेश किया गया। वाद के संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है–

ग्राम डांगाहेडी तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी में भूमि खसरा संख्या 686 रकबा 1.43 है., स्थित है जिसके पुराने खसरा सं. 282 रकबा 08 बीघा 16 बिस्वा थे। उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में वर्तमान में केशोनाथ आत्मज फून्दीनाथ कोम बाबाजी निवासी ग्राम पचीपला का नाम खातेदार के रूप में अंकित हो रहा है। केशोनाथ जी के एक मात्र पुत्र प्रतापनाथ जी हुए थे। प्रतापनाथ जी ने केशोनाथ जी की मृत्यु के पश्चात उक्त आराजी का एक

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

[illegible]

था।

विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड में अंकित खातेदार [illegible] आत्मज फून्दीनाथ जी का स्वर्गवास हो चुका है। जिनके कोई उत्तराधिकारी जीवित नहीं है। इसी प्रकार खरीददार कान्हा आत्मज गोपी का भी देहान्त हो चुका है जिसके दो पुत्र भैरूलाल व सून्दडा हुए हैं जिनमें से भैरूलाल का भी देहान्त दिनांक 26.11.1999 को हो चुका है। भैरूलाल के उत्तराधिकारीगण वादीगण है।

कान्हा जी के द्वारा खरीदी गई भूमि जिसकी वर्तमान खसरा संख्या 686 रकबा 1.43 है. है, पर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 आधे–आधे हिस्से पर काबिज है, इसी अनुसार काश्तकारी करते चले आ रहे हैं।

विवादित आराजी वर्तमान में भी विक्रेता केशोनाथ जी के खाते में अंकित चली आ रही है जबकि प्रतापनाथ जी के द्वारा अपने समस्त अधिकार उनके जीवनकाल में ही उक्त भूमि के सम्बन्ध में कान्हा जी के हक में स्थानान्तरित कर दिये है जिनका अमल राजस्व अधिकारियों द्वारा राजस्व रेकार्ड में नहीं किया गया है।

विवादित आराजी वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 के मध्य आधी–आधी बंटी हुई है इसी अनुसार काबिज है परन्तु प्रतिवादी संख्या 01 के मन में बेइमानी आ गई है जो जबरन ताकत के बल पर सम्पूर्ण आराजी पर कब्जा करते हुए वादीगण को बेदखल करने को आमादा है जिसके लिए प्रतिवादी सं. 1 के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करना आवश्यक हो गया है।

निवेदन है वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध निम्न आशय की डिक्री वाद व्यय सहित प्रदान की जावे–

वाद पत्र की चरण संख्या 01 में अंकित आराजी खसरा संख्या वर्तमान खसरा संख्या 686 रकबा 1.43 है. का खातेदार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 को घोषित फरमाया जाये। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में केशोनाथ आत्मज फून्दीनाथ बाबाजी का नाम विलोपित कर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 सून्दडा का नाम खातेदार के रूप में अंकित फरमाया जाये।

प्रतिवादी संख्या 01 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जाये कि वह विवादित आराजी पर से वादीगण को बेदखल नहीं करें।

वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जर्ये समन तलब किया गया। नियत पेशी पर अधिवक्ता प्रतिवादी उपस्थित हुआ। दिनांक 26.07.17 को वकील उभयपक्ष द्वारा राजीनामा पेश किया गया। शामिल मिसल किया गया। राजीनामा में वाद विषयक आराजी को वादीगण व प्रतिवादी सं.

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

1 के खातेदारी लगाये जाने पर कोई आपति नही होना बताया है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजी वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 के कमशः दादाजी व पिता द्वारा सन् 1975 में जर्ये रजिस्टर्ड विकय पत्र से कय की गयी है। उक्त बेचान करीब 42 वर्ष पुराना है। वाद वर्णित आराजी का वर्तमान जमाबंदी में खातेदार केशोनाथ आत्मज फून्दीनाथ दर्ज है। अतः केता व विकेता दोनो के ही नाम खातेदार के रूप में नही है जबकि दोनो की मृत्यु हो चुकी है। वारिसान सहखातेदार बाबत स्थिति स्पष्ट नही है। अतः उक्त आराजी पर दोनो पक्षों के राजीनामा पर आदेश देने से पूर्व राज्य स्तर के समाचार पत्र में इश्तिहार राजीनामा पर आपति पेश करने हेतु साया करवाने के आदेश दिये गये। इस बाबत दिनांक 28.12.2017 के राजस्थान पत्रिका में पेज नं. 11 पर इश्तिहार जारी किया गया। इश्तिहार में दी गयी दिनांक 31.01.18 तक कोई आपति राजीनामा पर किसी के भी द्वारा न्यायालय में पेश नही की गयी। दिनांक 12.07.18 को नियत पेशी पर वकील वादी उपस्थित। विद्वान अधिवक्ता वादी ने पुनः राजीनामा अनुसार वाद स्वीकार करने बाबत निवेदन किया व वाद पत्र के तथ्यों को दौराने बहस दोहराया। अपने वादपत्र के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत RRD 2013 page 276-278 पेश की।

हमने पत्रावली का पूर्ण अवलोकन किया। जमाबंदी में खसरा सं. 686 रकबा 1.43 है. में केशोनाथ आत्मज फून्दीनाथ का नाम दर्ज है। साथ ही रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 19.07.75 में प्रतापनाथ बेचानकर्ता में कथन किया है कि खसरा सं. 282 रकबा 8 बीघा 16 बिस्वा बारानी अनकमाण्ड मेरे पिता श्री केशोनाथ पुत्र फून्दीनाथ बाबाजी के खाते में अंकित है। प्रतापनाथ द्वारा भूमि का बेचान जर्ये रजिस्टर्ड विकय पत्र कान्हा आत्मज गोपी को किया गया। विकय पत्र में प्रतापनाथ ने कथन किया है कि केशोनाथ का स्वर्गवास हो चुका है। केशोनाथ का एक मात्र मैं ही (प्रतापनाथ) उत्तराधिकारी है। वादी द्वारा वादपत्र में कथन किया गया है कि प्रतापनाथ का भी स्वर्गवास हो चुका है। अतः केशोनाथ के वारिसान की स्थिति को स्पष्ट करने हेतु प्रकरण में पेश राजीनामा को स्वीकृत करने से पूर्व राज्य स्तरीय समाचार पत्र में इश्तिहार साया करवाया गया जिस पर दिनांक 31.01.2018 तक न्यायालय द्वारा आपत्ति चाही गयी। कोई आपत्ति पेश नही हुयी। मिलान क्षेत्रफल 1.04.1995 से 31.03.2015 के मुताबिक पुराने खसरा सं. 282 रकबा 8 बीघा 16 बिस्वा के नया खसरा नं. 686 रकबा 1.43 है. बने है।

चूंकि दिनांक 19.07.1975 को बेचान रजिस्टर्ड है। विद्वान अधिवक्ता वादी द्वारा पेश नजीर RRD 2003 Page 276-278 का अवलोकन किया। जिसमें माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा यह अभिनिर्धारित किया है कि recorded khatedar of the land having possession can transfer the land with possession by registered sale in lieu of amount to the purchaser. Purchaser

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

has full rights in view of section 54 of the Transfer of Property Act and saction 47 of the Registration Act.

उक्त नजीर हस्तगत प्रकरण पर चस्पा होती है।

जब रजिस्टर्ड विकय पत्र से बेचान हो चुका है तथा केता को कब्जा संभलाने का कथन किया गया है तो उसे माना जाएगा। वादी द्वारा वादपत्र में आराजी पर काबिज होने का कथन किया है। वादीगण केता कान्हा आत्मज गोपी के वारिसान है।

उक्त सम्पूर्ण विवेचनोपरांत न्यायालय का मत है कि मुताबिक राजीनामा निर्णित किया जाना न्यायोचित है अतः राजीनामा स्वीकार किया जाता है। वाद वर्णित आराजी खसरा सं. 686 रकबा 1.43 है. का खातेदार वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 को घोषित किया जाता है। उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में केशोनाथ आत्मज फून्दीनाथ बाबाजी का नाम विलोपित किया जावे। उक्तानुसार डिकी जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

डिगरी ब मुकद्दमें इब्तदाई

(O 20, Rr 6,7)

(civil Procedure Code, Appendix D)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम खानपुर

व इजलास सुश्री गरिमा भाटा R.A.S.

1 मघवीर पुत्र भैरूलाल जाति गुर्जर निवासी डाबाहेड़ी तहसील इन्द्रगढ़ वगैरह (वादीगण) बनाम 1 सुन्दर पुत्र कान्हा जाति गुर्जर निवासी ग्राम डाबाहेड़ी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी 2. राज. सरकार जरिये तहसीलदार इन्द्रगढ़ (प्रतिवादीगण)

दावा बाबत 88, 89, 189

मुकदमा नम्बर 17/SDO/17 सन

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी श्री राजेन्द्र कुमार गौड़ एड. मिनजानिब मुद्दई रूबरू

मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकुम दिया जाता है व ड़िगरी दी जाती है कि

वाद वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 के राजीनामानुसार स्वीकार किया जाता है. वाद वर्णित आराजी जमाबन्दी सम्वत 2070 से 2073 खाता सं. 52 ख.नं. 686 रकबा 1.43 हैक्टर वाके ग्राम डाबाहेड़ी तहसील इन्द्रगढ़ का वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है तथा राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज नाम केशोनाथ आत्मज फून्दीनाथ जावाजी का नाम विलोपित किये जाने का आदेश तहसीलदार इन्द्रगढ़ को दिया जाता है।

निज मुबलिग बाबत खर्चा इन

मुकद्दमें के मय सूद बशरह फीसदी सालाना आज की तारीख

से तारीख अदायगी तक का अदा करें।

सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 18-7 माह 2018

सन को जारी की गई।

दस्तखत

मुहर

ओहदा

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर (बून्दी)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दायलह	रूपया	पैसे
1. स्टाम्प अर्जीदावा			1. स्टाम्प अर्जीदावा		
2. स्टाम्प वकालतनामा			2. स्टाम्प अर्जी		
3. स्टाम्प वजह सबूत			3. महन्ताना वकील		
4. महन्ताना वकील			4. खर्चा गवाहॉन		
5. खर्चा गवाहॉन			5. फीस कमिश्नर		
6. फीस कमिश्नर			6. बाबत इजराय हुक्मनामा		
7. बाबत इजराय हुक्मनामा			7. मुत्तफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का चाहे ड़िगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

2. राजू आ. स्व. भैरूलाल जाति गुर्जर निवासी डाबाहेड़ी तह...
3. बाबू आ. स्व. भैरूलाल ———— " ———— " ————
4. हेमराज आ. स्व. भैरूलाल ———— " ———— " ————
5. जनकुबाई बेवा स्व. भैरूलाल ———— " ———— " ————

वादीगण .

उपखण्ड अधिकारी
[illegible] (बून्दी)